पत्र सं0 :–26 / मु0–06–01 / 2026...../

**बिहार सरकार**

**जल संसाधन विभाग**

**आदेश**

मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, सिवान परिक्षेत्राधीन सारण नहर प्रमंडल, मैरवा के अन्तर्गत एकरारनामा सं0–01SBD/2017-18 दिनांक–01.02.2018 के तहत हथुआ शाखा नहर के वि0दू0 90.00 से वि0दू0 183.40 तक सेवापथ के पक्कीकरण कार्य का एकरारनामा संवेदक मेसर्स रामजी सिंह एण्ड कम्पनी, प्रो0– श्री अशोक कुमार सिंह, ग्राम– रामपुर, पो0–बड़हरा, जिला– भोजपुर, पिन–802311 द्वारा सम्पादित किया गया।

- उक्त कार्य की जांच विभागीय उड़नदस्ता द्वारा की गई, जांचोपरांत अधीक्षण अभियंता, उड़नदस्ता अंचल–01 के पत्रांक–07 दिनांक–30.04.2024 द्वारा जांच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। उड़नदस्ता जांच प्रतिवेदन में उक्त सेवापथ के पक्कीकरण कार्य में GSB की औसत मोटाई प्रावधानित मोटाई 175 mm के विरूद्ध 154.11 mm पाया गया, जो गुणवत्ता एवं विशिष्टि के अनुरूप नहीं था। एकरारनामा एवं विहित विनिर्देश के अनुसार कार्य निष्पादन में बरती गयी अनियमितता के लिए विभागीय पत्रांक–2583 दिनांक–06.06.2025 द्वारा संवेदक से कारण–पृच्छा की गयी। तदालोक में संवेदक द्वारा कारण–पृच्छा प्रत्युत्तर समर्पित किया गया।

- संवेदक से प्राप्त कारण पृच्छा प्रत्युत्तर की समीक्षा यो0 एवं मो0 अंचल–02 से करायी गयी। समीक्षोपरांत विभागीय आदेश सं0–380 दिनांक–03.05.2017 में उल्लेखित प्रावधानों के तहत संवेदक मेसर्स रामजी सिंह एण्ड कम्पनी, प्रो0– श्री अशोक कुमार सिंह, ग्राम–रामपुर, पो0–बड़हरा, जिला–भोजपुर, पिन–802311 (निबंधन सं0–WRD240425C1PF24169479 श्रेणी–प्रथम) को 05 वर्षो के लिए कालीसूची में डाला गया।

- उक्त आदेश विरूद्ध संवेदक रामजी सिंह के पत्रांक–07 दिनांक–04.08.2025 द्वारा विभाग के समक्ष अपील अभ्यावेदन समर्पित किया गया एवं माननीय उच्च न्यायालय, पटना में CWJC No.-14191/2025 मेसर्स रामजी सिंह एण्ड को0 बनाम बिहार राज्य एवं अन्य वाद भी दायर किया गया। माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक–15.09.2025 को न्याय निर्णय पारित करते हुए आदेश पारित किया गया कि याचिकाकर्ता से प्राप्त अपील अभ्यावेदन पर आदेश की प्रति प्राप्त होने के दो सप्ताह के अंदर Appellate Authority द्वारा निर्णय लिया जाय।

- माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में अपीलीय प्राधिकारी द्वारा याचिकाकर्ता के प्रतिनिधि और विभाग के इंजीनियरों की उपस्थिति में दिनांक–29.10.2025 और 13.11.2025 को सुनवाई की गयी एवं याचिकाकर्ता के अपील याचिका पर मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, सिवान द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अवलोकनोपरांत पाया गया कि याचिकाकर्ता अपनी अपील याचिका में निर्धारित आधारो को स्थापित करने में विफल रहे है। तदालोक में अपीलीय प्राधिकार द्वारा याचिकाकर्ता के अपील अभ्यावेदन को विभागीय आदेश सं0–6281 दिनांक–14.11.2025 अस्वीकृत किया गया।

- संवेदक द्वारा कालीकरण आदेश ज्ञापांक–3441 दिनांक–24.07.2025 तथा अपील अभ्यावेदन को अस्वीकृत करने से संबंधित आदेश ज्ञापांक–6281 दिनांक–14.11.2025 के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, पटना में CWJC No.-651/2026 मेसर्स रामजी सिंह एण्ड को0 बनाम बिहार राज्य एवं अन्य वाद दायर किया गया। उक्त वाद में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक–25.02.2026 को आदेश पारित करते हुए मामले को निष्पादित किया गया, जिसका कार्यकारी अंश निम्नवत् है:–

  - "We have heard the counsel for the parties. It transpires that the respondent authorities before passing the impugned order must evoke clause 16 and 17 of

clause 16 and 17 of the agreement then the respondent authorities have to take curative action against the petitioner.

- In view of the aforesaid, the order dated 24.07.2025 (Annexure-P/9) and order dated 14.11.2025(Annexure-P/14) are set aside. The matter is remitted back to the respondent authorities who shall proceed afresh in accordance with law as well clause 16 and 17 of the agreement.
- Accordingly, the present writ petition is allowed.
- Pending Application(s), if any shall also stand disposed of."

- अतः माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित न्याय निर्णय एवं संवेदक से प्राप्त अभ्यावेदन पत्रांक–241 दिनांक–19.08.2026 के आलोक में विभागीय आदेश ज्ञापांक–3441 दिनांक–24.07.2025 द्वारा किये गये कालीकरण आदेश तथा विभागीय आदेश ज्ञापांक–6281 दिनांक–14.11.2025 द्वारा अपील अभ्यावेदन को अस्वीकृत किये जाने संबंधी आदेश को Set Aside करते हुए संवेदक मेसर्स रामजी सिंह एण्ड कम्पनी, प्रो0– श्री अशोक कुमार सिंह, ग्राम–रामपुर, पो0–बड़हरा, जिला–भोजपुर, पिन–802311 (निबंधन सं0– WRD240425C1PF24169479 श्रेणी–प्रथम) के विरूद्ध एकरारनामा के clause 16 and 17 के आलोक में फ्रेश कार्रवाई करने का निर्णय लिया जाता है।

ह0/–
(ब्रजेश मोहन)
अभियंता प्रमुख (मुख्यालय)।

ज्ञापांकः– 26/मु0–06–01/2026 पटना/दिनांक :.....

प्रतिलिपि :– संवेदक मेसर्स रामजी सिंह एण्ड कम्पनी, प्रो0– श्री अशोक कुमार सिंह, ग्राम– रामपुर, पो0–बड़हरा, जिला– भोजपुर, पिन–802311 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
अभियंता प्रमुख, मुख्यालय।

ज्ञापांकः– 26/मु0–06–01/2026 पटना, दिनांक :.....

प्रतिलिपिः– अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, जल संसाधन विभाग/पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/लघु जल संसाधन विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/नगर विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
अभियंता प्रमुख, मुख्यालय।

ज्ञापांकः– 26/मु0–06–01/2026 पटना, दिनांक :.....

प्रतिलिपिः– सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, पटना/सभी अभियंता प्रमुख, जल संसाधन विभाग/सभी मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग/अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियंत्रण यो0 एवं मो0, अंचल, पटना/अधीक्षण अभियंता, यो0 एवं मो0, अंचल–2,3,4, पटना/निदेशक, क्रय भंडार एवं सामग्री प्रबंधन, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

ज्ञापांकः— 26 / मु0—06—01 / 2026 पटना, दिनांक :.....

प्रतिलिपिः— मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, सिवान को सूचनार्थ एवं माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में clause 16 and 17 के आलोक में फ्रेश कार्रवाई किये जाने हेतु प्रेषित।

ह0 / —
अभियंता प्रमुख, मुख्यालय।

ज्ञापांकः— 26 / मु0—06—01 / 2026 5147 पटना, दिनांक :07/9/2026

प्रतिलिपिः— कार्यपालक अभियंता, प्रभारी आई0टी0 सेंटर, जल संसाधन विभाग, पटना को विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

07/9/26
अभियंता प्रमुख, मुख्यालय।